प्रेस नोट **दिनॉक 22.08.2020** **जनपद - संतकबीरनगर**

जनपद संतकबीरनगर में चल रही अवैध गुटका फैक्ट्री का भंडाफोड

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री रवीन्द्र कुमार व प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम श्री अजय कुमार सिंह के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कैसला में हरिश्चन्द्र यादव पुत्र रामजीत यादव के मकान में विभिन्न कंपनियों के नकली गुटका बनाते समय मय 01 अदद गुटका बनाने वाली मशीन व भारी मात्रा में बोरों में रैपर, मिश्रित गुटका, कटी हुई सुपारी व तम्बाकू के साथ दिनांक 21.08.2020 को समय 17.48 बजे मौके पर विशाल गुप्ता पुत्र हरिश्चन्द्र गुप्ता व हरिश्चन्द्र यादव पुत्र रामजीत यादव को पकड़ लिया गया इस संबन्ध में कोतवाली खलीलाबाद पर पर मु0अ0सं0 447/20 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 272 / 273 भा0द0वि0 व 63 / 65 कापीराइट एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त गणों को जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1- विशाल गुप्ता पुत्र हरिश्चन्द्र गुप्ता निवासी मुखलिसपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

2- हरिश्चन्द्र यादव पुत्र रामजीत यादव निवासी प्रजापतिपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी -

1- 01 अदद मिक्सिंग सिलिंग पैकिंग मशीन, 01 अदद इलेक्ट्रानिक गुटका रिफलिंग गैस सिलेंडर किट।

2- 04 बोरी मिश्रित कटिंग सुपारी (1 कुंतल 60 किलो प्रति बोरी 40 किलों)।

3- 02 बोरी में 60 किग्रा0 तम्बाकू।

4- मिश्रित पानमसाला मैटेरियल छोटे बड़े बोरे में विभिन्न पान मसाला गुटका के नकली रैपर व गुटका।

5- 01 अदद वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 51 आर 4741 मारूती सुजुकी ईको।

अभियुक्त विशाल गुप्ता ने पुछताछ किया कि मैने और मकान मालिक हरिश्चन्द्र यादव ने गुटके की फैक्ट्री लगभग 04 माह पूर्व अवैध धन कमाने के उद्देश्य से लगा कर मिक्सिंग मशीन से विभिन्न मार्का कम्पनियों का ट्रेड मार्क छपवा कर गुटके की पैकिंग रैपर में पैक कराकर सीमावर्ती जिलों में अपनी ईको कार यूपी 51 आर 4741 से सप्लाई किया करते थे। अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में यह भी बताया गया कि नकली रैपरों को हमलोग थोक मे कानपुर के व्यापारी ओमार पुत्र कमलेश कुमार निवासी 2 C/503 आवास विकास हंसपुरम थाना नौबस्ता जनपद कानपुर से मंगाते थे जिनका भुगतान हम उसके बैंक एकाउंट में भेजते रहते थे जिससे की माल व रैपरों की सप्लाई बनी रहे।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण –

प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री रवीन्द्र कुमार, उ0नि0 श्री गयासुद्दीन खाँ, प्रभारी निरीक्षक स्वॉट टीम श्री अजय कुमार सिंह, स्वाट प्रभारी उ0नि0 श्री सुभाष मौर्या, हे0का0 विश्वनाथ सिंह, हे0का0 इन्द्रजीत यादव, हे0का0 राघवेन्द्र पाण्डेय, का0 ऋषिवेद तिवारी, का0 रमेश यादव, का0चा0 विनोद कुमार, का0 चा0 संजय कुमार पाण्डेय ।